न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 289/2012

1. सरकार जरीये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. मोहनीदेवी पत्नी श्री दौलतराम जाति महाजन साकिन 7 जैड़ श्रीगगानगर

– – प्रतिवादीया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– :: निर्णय ::– **दिनांक :– 07.06.2018**

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. का वाद प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत प्रतिवादी के नाम चक 7 जैड़ के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 5/.253, 6/.025, कुल 0.278 हैक्टर मय खाला मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 4 ता 7 की 1.012 14/.063, 15/.139 कुल 1.214 हैक्टर नहरी मय खाला इस प्रकार कुल 1.492 हैक्टर मय खाला भूमि मोहनीदेवी पत्नी श्री दौलतराम जाति महाजन साकिन 7 जैड़ श्रीगगानगर के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।

उक्त वर्णित खातेदारी भूमि का उपयोग कृषि कार्य में न किया जाकर मौके पर प्लाट काटकर सड़के आदि बनाकर अकृषि कार्य में किया जा रहा है,

उक्त वर्णित आराजी काबिले काश्त है, केवल मात्र कृषि कार्य के लिये दी गई है इसे बिना सक्षम अधिकारी से सम्परिवर्तन कराये/स्वीकृति प्राप्त किये अकृषि कार्य में उपयोग किया जा रहा है। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अकृषि उपयोग में लेना गैर कानूनी है।

उक्त वर्णित रकबा के सम्बंध में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार बिना स्वीकृति/सम्परिवर्तन कराये अकृषि उपयोग में किया जा रहा है। जो कानून की अवहेलना हैं, उक्त वर्णित रकबा से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर राज्य हित में अधिग्रहण करने के आदेश फरमाये जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ नोटिस सूचित किया गया। प्रतिवादी द्वारा जरिये अधिवक्ता जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि चक 7 जैड के मुरब्बा नम्बर 17 की भूमि नगर नियोजक की सूचना के अनुसार नगर विकास न्यास श्रीगगानगर क्षैत्र में आई हुई होनें से इसके बारें में नियमन तथा भू. रूपान्तरण करवाया जा सकता है। तथा इसके लिये कानूनी प्रावधानों के अनुसार छूट प्रदान की गई है तथा इस सम्बंध में कार्यवाही प्रतिवादीया द्वारा की जा रही है। धारा 177 की कार्यवाही ऐसी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

लगातार 2

भूमियों के सम्बंध में नहीं की जा सकती है क्योंकि धारा 90 बी के प्रावधानों के अनुसार रूपान्तरण की कार्यवाही की जा सकती है। जिसके लिये नगर विकास न्यास को अधिकार प्राप्त है। अतः धारा 177 के प्रावधान लागु नहीं होनें के कारण वाद वादी खारिज फरमाया जावे।

न्याय आपके द्वारा अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 9 जैड़ में आयोजित लोक अदालत के दौरान विवादीत आराजी के सम्बंध में हल्का पटवारी से मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाकर विवादित आराजी का भौतिक निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया के प्रतिवादीया द्वारा विवादीत आराजी पर मौके पर प्लाट काटकर अकृषि कार्य के उपयोग में लिया जा रहा है। ना ही प्रार्थी द्वारा उक्त विवादीत आराजी के सन्दर्भ में भू. रूपान्तरण आदेश प्रस्तुत किया गया है।

अतः विवादीत आराजी पर बिना किसी सक्ष्म अधिकारी की स्वीकृति के गैर कृषि कार्य किये जानें के कारण वाद पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत चक 7 जैड़ के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 5/.253, 6/.025, मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 4 ता 7 की 1.012 14/.063, 15/.139 इस प्रकार कुल 1.492 हैक्टर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण कर बहक सरकार (सिवाय चक) घोषित की किया जाता है।

अतः उक्त अधिग्रहण शुदा भूमि के सम्बंध में तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है, कि वे उक्त भूमि को अपने कब्जा में लेकर राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद रिपोर्ट तहसील दाखिल दफ्तर हो

आदेश आज दिंनाक 07.06.2018 को लिखवाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 9 जैड में आयोजित राजस्व लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर